

7.1.7

DISABLED FRIENDLY ENVIRONMENT

1 RAMP








GPS Map Camera




Chhindwara, Madhya Pradesh, India
3WCX+PVX, PG College Rd, near KVS School, Dharam Tekri,
Ganesh Colony, Chhindwara, Madhya Pradesh 480001, India
Lat 22.071784°
Long 78.949814°
16/09/21 04:41 PM





 GPS Map Camera



Chhindwara, Madhya Pradesh, India
3XC2+G3G, Ganesh Colony,
Chhindwara, Madhya Pradesh 480001,
India
Lat 22.070903°
Long 78.950049°
15/09/21 04:26 PM



 GPS Map Camera



Chhindwara, Madhya Pradesh, India

3XC2+G3G, Ganesh Colony,
Chhindwara, Madhya Pradesh 480001,
India

Lat 22.07099°

Long 78.95011°

16/09/21 03:57 PM

2. DISABLED FRIENDLY WASHROOM






GPS Map Camera



Chhindwara, Madhya Pradesh, India
3WCX+PVX, Ganesh Colony, Chhindwara, Madhya Pradesh 480001, India
Lat 22.071928°
Long 78.950205°
17/09/21 05:15 PM

3. WHEEL CHAIR



शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा

महाविद्यालयीन दिव्यांगजन नीति प्रपत्र

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे सम्बंधित विषयों को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु अंगीकृत तथा 01 अक्टूबर 2007 को भारत द्वारा अनुसमर्थित निम्नलिखित सिद्धांतों को आज दिनांक 03/07/2020 को महाविद्यालयीन विभागाध्यक्षों की बैठक में यथातथ्य स्वीकार करता है -

- (1) प्रत्येक मानव की अन्तर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आदर;
- (2) अविभेद;
- (3) समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना;
- (4) मानवीय भेदभाव और मानवता के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर;
- (5) अवसर की समानता;
- (6) सुगम पहुँच;
- (7) पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता;
- (8) दिव्यांग विद्यार्थियों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर।

I- दिव्यांगजनों के अधिकार और हकदारियाँ

- (a) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजन विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन और सम्मान के अधिकार का उपभोग करे।
- (b) महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी दिव्यांगजन विद्यार्थी अकादमिक क्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु उपलब्ध सभी संसाधनों का संसम्मान उपभोग करे।
- (c) किसी भी दिव्यांगजन विद्यार्थी के साथ दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा।
- (d) महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी को केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।
- (e) महाविद्यालय प्रबंधन महाविद्यालय परिसर में दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए सुकियुक्त अधोसंरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी।
- (f) सहशिक्षा महाविद्यालय होने के कारण प्रबंधन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि दिव्यांग महिला विद्यार्थी अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें।
- (g) महाविद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रकार के दिव्यांगताओं के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पहचान के आँकड़ों का संधारण कर एक दिव्यांगजन वार्षिक बजट का प्रावधान कर सकें।

- (h) महाविद्यालय प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि महाविद्यालय में अध्ययनरत किसी भी दिव्यांगजन विद्यार्थी के विरुद्ध हिंसा, क्रूरता या शोषण की कोई घटना न हो और होने की स्थिति में जीरो टालरेन्स की नीति का अनुसरण करेगा।
- (i) महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी दिव्यांगजन विद्यार्थियों को शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त हो सके।

II- महाविद्यालय का दायित्व

- (a) महाविद्यालय बिना किसी विभेद के दिव्यांगजन विद्यार्थियों को प्रवेश एवं अन्य सभी विद्यार्थियों के समान खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करेगा।
- (b) महाविद्यालय प्रबंधन सभी प्रवेशित दिव्यांगजन विद्यार्थियों की महाविद्यालय परिसर, कक्षाओं और विभिन्न सुविधाओं जैसे प्रसाधन कक्ष, पेयजल तक सुविधाजनक पहुँच को सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (c) महाविद्यालय प्रबंधन दिव्यांगजन विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुगमता के लिए सभी आवश्यक उपकरण, सुविधाओं आदि की उपलब्धता के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।
- (d) महाविद्यालय प्रबंधन संकायवार दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए शिक्षक मार्गदर्शकों को चिन्हांकित करेगी ताकि वे शिक्षक उनके सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा उपलब्ध हो सकें।
- (e) प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के सम्बन्ध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मॉनीटर करना।
- (f) सभी पात्र दिव्यांग विद्यार्थी को छात्रवृत्ति, पुस्तकें एवं विद्या सामग्री प्रदान करना।
- (g) महाविद्यालय दिव्यांगजन के प्रति समावेशन, सहनशीलता और समानुभूति के मूल्यों के संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष एक जागरूकता सप्ताह का आयोजन सुनिश्चित कराएगी।

III- व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन

- (a) महाविद्यालयीन कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से सभी अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा के सभी औपचारिक तथा गैर औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल कराना।
- (b) महाविद्यालयीन कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से सभी अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों में नियोजन हेतु प्रयास करना।
- (c) महाविद्यालयीन करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी प्राध्यापक महाविद्यालय में आयोजित कैरियर अवसर मेलों में दिव्यांगजन विद्यार्थियों को प्राप्त रोजगार के आंकड़ों को अलग से संधारित करेगा साथ ही ऐसे दिव्यांगजन विद्यार्थियों की विस्तृत जानकारी भी संधारित करेगा जो रोजगार पाना चाहते हैं।

IV- शिकायत प्रतितोष अधिकारी का मनोनयन


- (a) महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं और शिकायतों के लिए एक प्रतितोष अधिकारी का महाविद्यालयीन प्राध्यापकों में से एक वरिष्ठ प्राध्यापक का मनोनयन किया जायेगा। जो प्रतिदिवस एक निर्धारित समय में ऐसे विद्यार्थियों की शिकायत सुनेगा एवं उनके यथोचित समाधान के लिए जबाबदेह होगा।


- (b) कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन विद्यार्थी शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकेगा जो उसका अन्वेषण करके सुधार की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

- अनुसन्धान एवं विकास

- (a) महाविद्यालय अपने स्वशासी प्रकोष्ठ से ऐसी अनुसन्धान परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन अनुदान राशि उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा जो मुख्यतः दिव्यांगजनों के जीवन सरलीकरण के लिए उपयोगी होंगी।
- (b) महाविद्यालय के ऐसे प्राध्यापकों को प्रोत्साहित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र एवं राज्य शासन के निःशुल्कजन कल्याण मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ वित्तपोषित परियोजनाओं, संगोष्ठी, कार्यशाला अथवा सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने को इच्छुक हों।


(डॉ. डी. डी. विश्वकर्मा)
IQAC प्रभारी
शास. स्वशासी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय छिदवाडा गुणवत्ता
अनुसन्धान प्रकोष्ठ


(डॉ. बिंदु शुक्ला)
Controller (Examination)
Govt. Autonomous P.G. College
छिदवाडा (ग.प्र.)


(डॉ. अमिताम पाण्डे)
प्रभारी
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिदवाडा (ग.प्र.)
महाविद्यालय छिदवाडा

9187201

॥ श्री गुरुवे नमः ॥

Mo.: 9303908542

8889958285

Cash/Credit Memo

ABHISHEK AGENCY

danam, Complex, Char fatak, Chhindwara (M.P.) 480002

89 Prinsipal.

Date 2/4/18

Font. P.G. collage

Particulars	Qty.	Rate	Amount
Wheel Chair	1	8080/-	8080/-
<p>बाऊचर १६</p> <p>दिनांक 07-05-18</p> <p>जाकिशेक</p> <p>प्रा. & कॅन्सेल</p>			
Total			8080/-

COMPOSITION DEALER
ABHISHEK AGENCY
GSTIN-23FHFP0111F1ZV

Goods once sold will not be taken back or returned
Payment not received within 15 days interest will be
charged 24%
T.O.E.

Thankyou

For- Abhishek Agency

STATE BANK OF INDIA CHHINDWARA (00348) Branch

Date :

REAL TIME GROSS SETTLEMENT/ NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (RTGS/NEFT)
APPLICATION FORM

(To be filled in by the Applicant in Block Letters)

(A) Detail of Applicant (Remitter)

- (1) Account Name: President Janbhaidari Samiti Govt. Autonomous P.G. College Chhindwara (MP)
(2) Account No. : 10544993244

(B) Detail of Beneficiary (Receiver of the Funds)

- (1) Beneficiary Name: Abhitek Agency
(2) Beneficiary's Bank: Andhra Bank
(3) Branch: Chhindwara
(4) IFS Code: ANDB0002752
(5) Account No.: 275211100000308

- (6) Amount to be remitted: Rs. 8077=05
Add: Bank Charges: Rs. 2=35
Total Amount: Rs. 8080=00

Cheque No : _____ Date : _____ Mob : 9424650427

I hereby authorize you to debit my / our account for the amount of _____ rupees to remit the amount as per above details by RTGS/NEFT (by debiting my / our account for the amount of _____ rupees plus your charges) We agree to abide by the terms and conditions for the transfer.

Principal
Authorized Signatory
(M.P.)

FOR BANK'S USE ONLY

Debited Applicant's A/c Total Rs _____

Date of Transfer: _____ Remittance No. _____

Authorized Signatory

CONDITIONS OF TRANSFER

Remitting banks shall not be liable for any loss of damages arising of resulting from delay in transmission delivery or non-delivery of Electronic message or any mistake, omission, or error in transmission or delivery thereof or in deciphering the message from any cause whatsoever or from the misinterpretation received on the action of destination Bank or any act beyond our control.

All payment Instructions should be Checked Carefully by the Initiator.
Messages received after cut-out time will be sent on the next working day.

Principal
Authorized Signatory
(M.P.)

सत्यापित

Anil Singh Barde

प्राचार्य Principal

शासकीय स्वशासित प्रभुत्व की शिक्षण संस्थान
Chhindwara (M.P.)
छिंदवाडा (म.प्र.)